

10/12
2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी अनुपस्थित।
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार रुक-रुक कर
आवाज लगाई गई, लेकिन कोर्ट भी उपस्थित नहीं
हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश 09
नियम 8 CPC अदम हाजिरी अदम पैशवी में
खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर बाह तकमील
तकमील कार्यालय दफ्तर है।



उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, जिला ~~पिठावा जिला~~
~~पिठावा जिला न्यायाधीश~~
पिठावा जिला न्यायाधीश

